

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/हजारीबाग/यॉ०  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : २३/०८/२१

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 20 कार्यालयों को विभिन्न मदों में  
कुल रु 275.685 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख अडसठ हजार पाँच सौ मात्र) राशि आवंटित  
करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में  
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया  
जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701—मध्यम सिंचाई	03— मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन / 07—मध्यम सिंचाई परियोजना	275.685

कुल आवंटित राशि – रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख अडसठ हजार पाँच सौ मात्र


- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु 11486.06 लाख (एक सौ चौदाह करोड़ छियासी लाख छ: हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रक्षायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभिः)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभिः)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त रथानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यपर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यपर्ण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यपर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित रथानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य रथानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यपर्ण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।  
अनु. :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 85

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/सिमडेगा/हजारीबाग/मधुपुर/गुमला/चाईबासा/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु. :- यथोक्त

रॉची, दिनांक :- २३/०८/२१

ज्ञापांक :- 85

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

मुख्य शीर्ष-2701—मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03—मध्यम सिंचाई—वाणिज्यिक लघु शीर्ष-001—निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07—मध्यम सिंचाई परियोजना मांग सख्ता-49—जल संसाधन विभाग

पत्रांक ३५ दिनांक २३/८/२१ का अनुलग्नक

I 2016/17

क्रमसंख्या	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विद्युत शीर्ष-01-देशन एवं भर्ते	विद्युत शीर्ष-02-शोर्ष-02-यात्रा याच	विद्युत शीर्ष-03-प्रशासनिक याच						विद्युत शीर्ष-04-शोर्ष-04-याच याप	विद्युत शीर्ष-05-शोर्ष-05-याच याप	राष्ट्रीय लाख रुपयों में						
				वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया बैतानि	एलटीडीसी- वेतन	दशोत्तम यात्रा याप	कायात्तम याप	किरण्यादर्शे कर	अप्रति एवं समग्री	दृष्ट्याप	वर्दी	विधुत याच	मोटाराडिंग इंजन एवं मरमाते	विधि प्रभार	कुल योग	अनियुक्ति	
1	2	विप्र कोड	49S2701030010 70101	49S27010300 1070101	49S27010300 070112	49S27010300 1070213	49S27010300 070215	49S27010300 1070316	49S27010300 070323	49S27010300 1070333	49S27010300 1070334	49S27010300 1070337	49S27010300 070442	49S27010300 070760				
														15	16			
1	2	मुख्य अधिकारी, अधिकारी चार्जना, रोची	पूर्व का आवर्दन 6,000	22.000 0.000	0.000 0.300	0.400 0.000	0.000 0.100	0.000 0.000	0.500 0.400	0.050 0.050	0.000 0.000	0.500 0.100	0.000 0.000	0.500 0.500	0.000 0.000	23.300	23.300	
															7.450	7.450		
2	मुख्य अधिकारी देवर	जलसंसाधन विभाग, देवर	पूर्व का आवर्दन 140.000	28.000 0.000	0.000 0.300	0.900 0.400	0.000 0.100	0.400 0.000	0.150 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1.000 0.000	0.000 0.000	30.750 121.300	121.300	22.200	*	
															143.500	143.500		
3	मुख्य अधिकारी, रोची	जलसंसाधन विभाग, रोची	पूर्व का आवर्दन 158.000	0.000 0.500	0.000 0.800	0.600 0.700	0.000 0.000	0.400 0.400	0.300 0.200	0.000 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.500 0.800	0.000 0.100	159.300 3.500	3.500	159.300	3.500
															162.800	162.800		
4	मुख्य अधिकारी, रोची	पूर्व का आवर्दन 15.000	28.000 0.000	0.000 0.200	0.000 0.400	0.100 0.000	0.000 0.000	0.700 0.400	0.000 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.800	0.000 0.000	29.200 17.200	17.200	29.200	29.200	
															46.400	46.400		
5	अधिकारी चार्जना अधिकारी रोची	पूर्व का आवर्दन 2.500	43.000 0.000	0.000 0.100	0.200 0.100	1.100 0.000	0.000 0.400	0.700 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1.300 0.000	0.000 0.000	3.100 20.900	20.900	3.100	3.100	
															24.000	24.000		
6	जलपथ अधिकारी, चार्जबासा	पूर्व का आवर्दन 0.000	147.000 0.000	0.000 0.200	0.300 0.500	0.200 0.000	0.000 0.100	0.500 0.200	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.400 0.400	0.000 0.000	148.000 148.000	148.000	1.700	1.700	
															149.700	149.700		
7	जलपथ अंचल, रोची	पूर्व का आवर्दन 50.000	160.000 0.000	0.000 0.200	0.300 0.300	0.000 0.500	0.000 0.000	0.400 0.100	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.400 0.600	0.000 0.100	161.000 51.800	51.800	161.000	51.800	
															212.800	212.800		
8	जलपथ अंचल, हजारीबाग	पूर्व का आवर्दन 32.820	125.000 0.000	0.000 0.200	0.300 0.300	0.800 0.500	0.000 0.000	0.500 0.150	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.400 0.300	0.000 0.000	126.000 34.970	34.970	126.000	34.970	
															160.970	160.970		

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (आभियो)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभिना)

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभिभा०)

60  
63  
68  
72

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव (अमिं)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विस्तृत शीर्ष-01-जेतन एवं जर्ते		विस्तृत शीर्ष-02- याजा याय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रायोगिक याय		विस्तृत शीर्ष-04- माटलगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-05- शीर्ष-07- माटलगाड़ियां		प्राप्ति लाख रुपये में		
		देतन	15.11.2000 के पूर्व का देतनादे	एकटीठाई	देशीय याचा च्या	कायालय असा कर	जिम्यादे, आपूर्ति एवं सामग्री	दूधाप	बद्दी	विद्युत याय	मोटरगाड़िया इंजन एवं मरम्भाति	विधि प्राप्ति		
0	कायालय का नाम	देतन	15.11.2000 के पूर्व का देतनादे	एकटीठाई	देशीय याचा च्या	कायालय असा कर	जिम्यादे, आपूर्ति एवं सामग्री	दूधाप	बद्दी	विद्युत याय	मोटरगाड़िया इंजन एवं मरम्भाति	विधि प्राप्ति	कुल योग	अनियुक्ति
1	लिपत्र कोड	49S2701030010	49S27010300	49S270103001	49S27010300	49S270103001	49S27010300	49S27010300	49S27010300	49S27010300	49S270103001	49S270103001	कुल योग	अनियुक्ति
1	2	70101	4	1070110	070112	1070213	070315	1070316	070323	1070333	1070334	1070337	070442	070760
19	सिचाई प्रमङ्गल, सं०-१,बरहेट	पुर्व का आवटन	119,000	0,000	0,000	0,200	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,450	2,065
20	सिचाई यांत्रिक प्रमङ्गल, रोंगी	युत्त आवटन	119,000	0,000	0,000	0,900	0,750	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,615	121,515
		पुर्व का आवटन	193,000	0,000	0,000	0,200	0,250	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,300	193,800
		अतिरिक्त आवटन	45,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,150	0,100	0,000	0,000	0,500	46,200
		युत्त आवटन	238,000	0,000	0,000	0,200	0,700	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,800	0,000
		अतिरिक्त आवटन का योग	249,820	0,000	1,300	3,350	7,950	0,000	3,400	1,050	0,000	5,200	3,615	275,685

कुल अतिरिक्त आवटन याचि-

(राजेन्द्र प्रसाद)  
चप सचिव (आम्ही)

४९  
२३०८।२१

(स्थान किंशोर प्रसाद सिंह)  
संसुखा सचिव

प्राप्ति  
कुमार  
सचिव